



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 04.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**यातायात पुलिस टीम ने आंशिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा बिना कागज के अधिक सवारी लेकर चलने पर 22 आपे व ई रिक्शा किये सीज...**

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है जिसको जनपद महोबा वासियों से उसका पालन करने व आंशिक कर्फ्यू को सफल बनाने के उद्देश्य के क्रम में आज दिनांक 04.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर प्रभारी यातायात श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा मय यातायात पुलिस के साथ वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहनों की चेकिंग की गयी ।

इस दौरान रोडवेज बस स्टैण्ड, आल्हा चौक, ऊदल चौक, परमानन्द तिराहा आदि शहर के प्रमुख जगहों पर चेकिंग की गयी, चेकिंग के दौरान 22 आपे व ई रिक्शा वाहनों को आंशिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने व वाहन सम्बन्धी कागजात न होने तथा मानक से अधिक सवारी लेकर चलने पर पकड़ा गया जिसके क्रम में सभी को नियमों की अनदेखी करने के कारण सीज की कार्यवाही करते हुये चौकी पर खड़ा किया गया ।

यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा ने इस दौरान कहा कि कोविड के बढ़ते हुये प्रसार को रोकने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आंशिक लॉकडाउन को सफल बनाने के क्रम में लगातार अभियान चलाकर मनमानी करने वाले चालकों पर शिकंजा कसा जायेगा ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 04.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पैदल गस्त करके लोगो को वीकेंड लॉकडाउन का पालन करने के लिए किया प्रेषित**



आज दिनांक 04.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है जिसको सफल बनाने हेतु सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय मय जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में पैदल गस्त करके आमजन व दुकानदारों को वीकेंड लॉकडाउन के प्रति जागरुक

करते हुए पालन करने की अपील की गई, इस दौरान लोगो से घरों में रहने व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द रखने की हिदायत दी गई। लोगो को जागरुक करते हुए **“02 गज की दूरी मास्क है जरूरी”** का संदेश दिया गया। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **36 ई-चालान व 37 वाहनों से 7900/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।**

